रजिस्ट्री सं० डी.एल. 33001/97 REGISTERED NO. DL-33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1997/वैसाख 27, 1919
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1997/VAISAKHA 27, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

सा.का.नि. 227—बूरा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1996 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बूरा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1943 को अधिक्रान्त करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन के पश्चात विचार किया जाएगा,

कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आक्षेप करना चाहता है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) को भेज सकता है।

1095 GI/97—1

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बूरा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1996 है।

(2) ये किसी किस्म की चीनी के घोल के निर्वात कड़ाह या वाष्पकों के उपयोग के बिना पुनःक्वथन द्वारा उत्पादित खजहोन चीनी बूरा को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों या प्रक्रिया के अनुसार बूरा का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकर प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिन्ह से बूरा का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकृत करता है,

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान.—बूरा की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा.—सम्बद्ध श्रेणी अभिधान और सामान्य अभिलक्षणों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 8 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न.—श्रेणी अभिधान चिह्न में निम्नलिखित होगा :—

(i) एक लेबल जिस पर उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची-1क में यथा उपवर्णित से मिलता हुआ एक डिजाइन होगा जिसमें "AGMARK" "एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र और उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा,

(ii) अनुसूची-1ख में यथा उपवर्णित से मिलती हुई "एगमार्क" प्रतिकृति, जिसमें प्राधिकार प्रमाण पत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए एक डिजाइन "AGMARK" "एगमार्क" शब्द उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान होगा :

परन्तु एगमार्क लेबलों के बदले एगमार्क प्रतिकृति का उपयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिए अनुज्ञात होगा जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुज्ञा दी गई है और ऐसा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा।

6. पैक करने की रीति.—(1) श्रेणीकृत वस्तु स्वच्छ, मजबूत और सूखे आधानों में जैसे जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, पाली वोवन थैलों, कागज के थैलों, न्यूनतम 100 माइक्रोन्स के पालीथिलीन या पाली प्रोपिलीन और/या कोई अन्य पैकिंग सामग्री जो क्रेता द्वारा अपेक्षित और/या कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, में पैक की जाएगी परन्तु यह कि पैकिंग सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथा अनुज्ञात खाद्य श्रेणी सामग्री में से विनिर्मित की जाएगी। वस्तु के लिए जिन आधानों का उपयोग पहले किया गया है जिससे बूरा खराब होने या उसमें किसी अरुचिकर गंध, दुर्गन्ध या अन्य अवांछित अभिलक्षणों के पैदा होने की संभावना हो, का उपयोग नहीं किया जाएगा। खांड से तैयार बूरा को कारखाने की चीनी से बनाए गए बूरा से पृथक रूप से पैक किया जाएगा और प्रत्येक आधान में केवल एक ही क्वालिटी और श्रेणी का बूरा अन्तर्विष्ट होगा;

(2) आधान कीटग्रसन, कवक, संदूषण ; हानिकारक पदार्थों और किसी अवांछित गंध या दुर्गन्ध से मुक्त होंगे,

(3) उपयुक्त संख्या में उपभोक्ता पैकेट जिसमें उसी श्रेणी अभिधान और उसी लाट/बैच की श्रेणीकृत सामग्री है, मास्टर आधान जैसे कि काष्ठ पेटियों, कार्ड बोर्ड गत्ता बक्सों में पैक किया जा सकता है। यह इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कि प्रत्येक उपभोक्ता पैक समुचित श्रेणी अभिधान चिन्ह धारण करेगा और उसके ब्यौरे मास्टर आधान पर चिपकाए गए लेबल के साथ बांधकर उपवर्णित किए जाएंगे,

(4) प्रत्येक आधान सुरक्षित रूप से बन्द और उस रीति से यथोचित रूप से सील किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित की जाए।

7. चिन्हांकन की रीति —(i) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक आधार पर मजबूती से लगाया या स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा,

(ii) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां आधान पर स्पष्ट और अमिट रूप से चिन्हित की जाएगी :

(i) पैकर का नाम और पता,

(ii) पैकिंग का स्थान,

(iii) पैकिंग की तारीख, मास और वर्ष,

(iv) शुद्ध भार;

(v) लाट/बैच संख्यांक;

(vi) मूल्य;

(iii) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड अंकित कर सकेगा परन्तु यह यह तब जब कि वह ऐसी क्वालिटी उपदर्शित नहीं करता है जो श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित से भिन्न है।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए विशेष शर्तें —साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन बूरा के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत पैकर बूरा की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए या तो अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा जिसमें कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अर्हित रसायनज्ञ होगा या उसकी इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच होगी,

(2) प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैकिंग के लिए परिसर पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छता की अवस्था में रखी जाएगी,

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक पूर्णतः स्वस्थ और किसी सांसर्गिक रोग से मुक्त होंगे,

(4) श्रेणीकरण प्रयोगशाला वस्तु के परीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक रसायनों और उपस्करों से पूर्णतः सुसज्जित होगी,

(5) प्राधिकृत पैकर वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन संपादन करने के लिए अनुमोदित रसायनज्ञ के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं और सहायता का प्रबन्ध करेगा,

(6) प्राधिकृत पैकर बूरा का विश्लेषण और श्रेणीकरण समुचित रिकार्ड रखेगा।

अनुसूची-1 क

[नियम 5(i) देखिए]

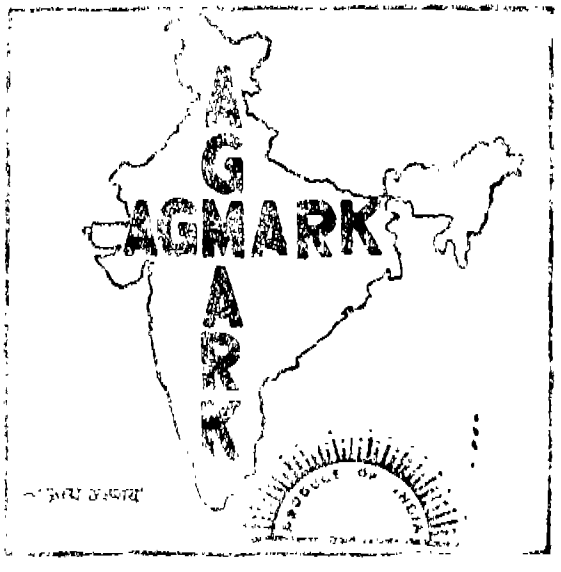

अनसूची-1 ख

[नियम 5(ii) देखिए]

एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

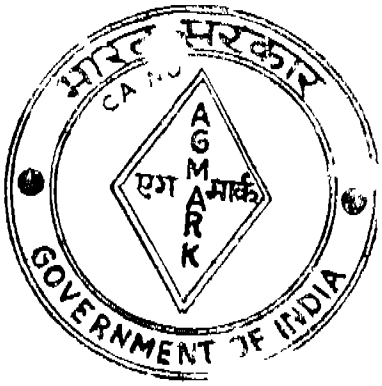

वस्तु का नाम .....

श्रेणी.....

अनसूची—2

(नियम 3 और 4 देखिए)

बूरा के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

विशेष विशिष्टताएं

श्रेणी अभिधान	भार के अनुसार बाह्य पदार्थ प्रतिशत (अधिकतम)	भार के अनुसार सुक्रोश प्रतिशत (न्यूनतम)	भार के अनुसार अम्ल अघुलनशील भस्म (अधिकतम)	सल्फेट डाई-आक्साइड की मात्रा पी.पी.एम (न्यूनतम)	भार के अनुसार नमी प्रतिशत में (अधिकतम)	रंग से अधिक गहरा नहीं*
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी–1	1.0	95.0	0.50	80	1.0	असाधारण सफेद/ दूधिया सफेद
श्रेणी–2	1.0	90.0	0.70	110	1.5	सफेद/चांदनी
श्रेणी–3	1.5	90.0	0.70	140	2.0	क्रीम से हल्का क्रीम

*विभिन्न विहित श्रेणियों के लिए तत्संबंधी रंग मानक कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।

साधारण विशिष्टताएं

8

बूरा—

(क) अनन्य रूप से या तो खांड से, प्रयोग में लिए गए उत्पाद को पर्याप्त रूप से परिष्कृत करके पुनः स्फुटन करने के पश्चात् तैयार किया जाएगा जिसमें भार के अनुसार न्यूनतम 90 प्रतिशत सुक्रोश अन्तर्विष्ट होगा;

(ख) बारीक बलई गठन का और ढेलों से मुक्त होगा;

(ग) ऐसी मात्रा तक सुखाया हुआ होगा जिससे उसका भार और रंग सही रूप से बना रह सके;

(घ) किसी आक्षेपणीय बास और धूल, गंदगी लोह-चूर्ण तथा मिलाए गए रंजक से मुक्त होगा;

(ङ) एफ्लेटॉक्सिन अन्तर्विष्ट, धात्विक संदूषक और कीटनाशी अवशेष के बारे में निर्बंधन का अनुपालन करेगा जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित है।

*सेवर (हाइड्रिला वेरटोसिलेट) से या अपकेन्द्रण से द्वारा राब से अभिक्रिया खुले कड़ाहों में तैयार मास्कवोट द्वारा तैयार की गई सफेद पाउडर चीनी।

टिप्पण :—निर्मलीकरण की प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले कारकों में से किसी के जिसमें दूध, सूजी (क्रूड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का मिश्रण) नींबू रस, टाटरी (टार्टरेट), फिटकरी या भिण्डी (हिबिस्कस एक्सुलेन्टस) पानी भी सम्मिलित है, द्वारा की जा सकती है। विरंजन कारकों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 18011/1/96–एम.-II]

सुकुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 10th April, 1997

G.S.R. 227.—The following draft of the Bura Grading and Marking Rules, 199, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Bura Grading and Marking Rules, 1943 are hereby publihsed, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, NH, IV, Faridabad-121001 (Haryana).

DRAFT RULES

1. Short title and application.—(1) These rules shall be called the Bura Grading and Marking Rules, 1996.

(2) They shall apply to Bura amorphous sugar produced by reboiling without the use of vacuum pan sor evaporators or a solution of any form of sugar.

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted certificate of authorisation to grade and mark Bura in accordance with the provisions of these rules;

(c) "Certificate of authorisation" means a certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988;

(d) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.

3. Grade designation.—The grade designation to indicate the quality of Bura shall be as set out in column 1 of Schedule II.

4. Definition of quality.—The quality indicated by such grade designation and general characteristics shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 8 of Schedule II.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of.—

(i) a label specifying name of the produce, grade designation and bearing a design consitsing of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun resembling the one as set out in Schedule I-A;

(ii) "AGMARK" replica consisting of a design incorporating the number of certificate of authorisation, the word "AGMARK", name of the produce and grade designation resembling the one as set out in Schedule I-B;

Provided that the use of AGMARK replica in lieu of AGMARK labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted permission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard and subject to the conditions prescribed under the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of packing.—(1) The graded article shall be packed in clean, sound and dry containers in jute bags, polywoven bags, paper bags, polyethylene or polypropylene or minimum 100 microns and/or any other packing material as may be required by the buyer and/or approved by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf provided that the packing material is manufactured out of food grade materials as permitted under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955;

(2) Containers which have been previously used for commodity likely to cause damage or impart any abnoxious flavour, odour or other undesirable characteristics to the Bura, shall not be employed;

(3) Bura prepared from Khand shall be packed separately from Bura made from factory sugar and each container shall contain Bura of one uniform quality and grade only;

(4) The containers shall be free from insec-infestation, fungus contamination, deleterious substances and any undesirable or obnoxious smell;

(5) Suitable number of consumer packets containing graded material of the same grade designations and from the same lot/batch may be packed in master containers, such as, wooden cases and cardboard carttons subject to the conditions that each consumer pack shall carry appropriate grade deisgnation mark and the details thereof shall be indicated on the tie-on label affixed to the master container;

(6) Each container shall be securely closed and suitably sealed.

7. Method of Marking.—(1) the grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container;

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on the container;

(a) Name and address of the packer;

(b) Place of packing;

(c) Date of packing in month and year;

(d) Net Weight;

(e) Lot/Batch number;

(f) Price;

(3) An authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf, in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, affix his private trade mark or trade brand label on graded packages, provided that the same does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages.

8. Special conditions for grant of certificate of authorisation.—In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and marking Bura under these rules, namely :—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule of the General Grading and Marking Rules, 1988, for testing of quality of Bura or have access to the State grading laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose;

(2) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions;

(3) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease;

(4) The grading laboratory shall be fully equipped with all necessary chemicals and apparatus for testing the commodity;

(5) The authorised packer shall provide all necessary facilities and assistance to the approved chemist for carrying out the grading and marking of the commodity;

(6) The authorised packer shall maintain proper records of analysis and grading of Bura.

SCHEDULE I-A

[see rule 5 (i)]

DESIGN OF THE AGMARK LABEL

SCHEDULE I-B

(see rule 5 (ii))

DESIGN OF AGMARK REPLICA

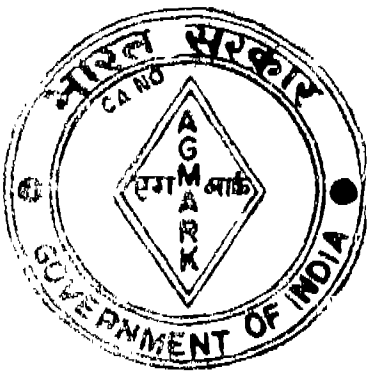

NAME OF COMMODITY———————

GRADE ———————

SCHEDULE-II

(see rule 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Bura

Grade designations	Definition of quality					
	Special characteristics					
	Excraneous matter % by weight (maximum)	Sucrose % by weight (minimum)	Acid insoluble ash % by weight (maximum)	SO_2 content in PPM (miminum)	Moisture % by weight	Colour not dark than*
1	2	3	4	5	6	7
Grade-I	1.0	95.0	0 50	80	1.0	Extra white/Milk White.
Grade-II	1.0	90.0	0.70	110	1.5	White/Moon light
Grade-III	1.5	90.0	0.70	140	2.0	Light cream to cream

*The colour standards corresponding to the various prescribed grades are issued by the Agricultural Market-Adviser to the Government of India.

General characteristics
8

The Bura.—

(a) shall be prepared exclusively from either khand or from factory sugar after remelting and adequately clarifying the product used and shall contain minimum sucrose 90% by weight;

(b) shall be of fine sandy texture and free from clods;

(c) shall be dried to such an extent as can reasonably maintain its weight and colour;

8

(d) shall be free from any objectionable flavour, dirt, filth iron filings, and added colouring matter:

(e) shall comply with restrictions in regard to afloated in content, metallic contaminants and pesticides residues as prescribed under the Prevention of Food Adultaration Rules, 1955.

@ White powder sugar prepared by treating rab (massaqu ta prepared in open pans) with sewar (hydrilla vertic illate) or by centrifuging.

Note :— The process clarification may be affected by means of any of the agents normally used for the purpose including milk, Suiji, (a mixture of crude sodium carbonate and sodium sulphate (lemon juice, tatari (a tartarate) alum of bhindi (Hibiscus Exculentus) water. Bleaching agents shall not be used.

[File No. 18011/1/96-M. II]
SUKUMAR DAS, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

सा०का०नि. 228:—पोस्ता दाना श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1996 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोस्ता दाना श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 को अधिक्रांत करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना मे युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन के अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आक्षेप करना चाहता है, उसे केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, एन०एच०-4, फरीदाबाद-12 प्रारुप नियम हरियाणा को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोस्ता दाना श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1998 है।

(2) ये पोस्ता दाना (पापावेर सोमनिफेरम) को लागू होंगे,

(3) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसे इन नियमों के उपबंध के अनुसार पोस्ता दाना का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण पत्र " से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1988 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभियान :—पोस्ता दाना की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए वे श्रेणी अभियान होंगे जो अनुसूची 3 के स्तंभ 1 में उपवर्णित है ।

4. क्वालिटी की परिभाषा :—प्रत्येक श्रेणी अभियान और सामान्य अभिलक्षणों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 3 के स्तंभ 2 से स्तंभ 7 में प्रत्येक श्रेणी अभियान के सामने उपवर्णित हैं।

5. श्रेणी अभियान चिन्ह : —श्रेणी अभियान चिन्ह में निम्नलिखित होगा —

(i) एक लेबल जिस पर उत्पाद का नाम, श्रेणी अभियान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची –1 में यथा उपवर्णित से मिलता हुआ एक डिजाइन होगा जिसमें "AGMARK" "एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखा चिन्ह और उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा;

(ii) अनुसूची–2 में यथा उपवर्णित से मिलती हुई "AGMARK" "एगमार्क" प्रतिकृति जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए एक डिजाइन "AGMARK" "एगमार्क" शब्द उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान होगा;

परन्तु एगमार्क लेबलों के बदले एगमार्क प्रतिकृति का उपयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिए अनुज्ञात होगा जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गई है और ऐसा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा।

6. पैक करने की रीति :—

(1) श्रेणीकृत वस्तु स्वच्छ मजबूत और सूखे आधानों में पोलीप्रापिलिन के अस्तर वाले केवल जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, पार्लीवेष्टन थैलों, कागज के थैलों में पैक की जाएगी।

(2) उपभोक्ता पैकों की दशा में पोलीथिलीन या न्यूनतम 100 माइक्रोन के पालीप्रोपिलिन और धात्विक पोलिस्टर पाउचों या कोई ऐसी अन्य पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाएगा जो क्रेता द्वारा अपेक्षित हों और कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा सके, परन्तु यह तब जब कि यह पैकिंग सामग्री ऐसी खाद्य श्रेणी सामग्री में से विनिर्मित की गई है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञात है।

(3) आधान कोट ग्रसन, कवक संदूषण, हानिकारक पदार्थों और किसी अवांछित अथवा घृणाजनक दुर्गन्ध से मुक्त होंगे।

(4) उपयुक्त संख्या में उपभोक्ता पैकेट जिनमें उसी श्रेणी अभिधान और उसी लाट/बैच की श्रेणीकृत सामग्री है, मास्टर आधान जैसे कि काष्ट पैटियां, कार्ड बोर्ड गत्ता बक्सों में, उस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि प्रत्येक उपभोक्ता पैक समुचित श्रेणी अधिधान चिन्ह धारण करेगा और उसके ब्यौरे मास्टर आधान पर चिपकाए गए लेबल के साथ बांधकर उपदर्शित किए जाएंगे, पैक किए जा सकेंगे।

(5) प्रत्येक आधान सुरक्षित रूप से बन्द और यथोचित रूप से सील किया जाएगा।

7. चिन्हांकन की रीति :—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक आधान पर मजबूती से लगाया या स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां आधान पर स्पष्ट और अमिट रूप से मुद्रित की जाएंगी।

(i) पैकर का नाम और पता,

(ii) पैकिंग का स्थान,

(iii) पैकिंग की तारीख मास और वर्ष,

(iv) शुद्ध भार

(v) लाट/बैच संख्यांक,

(vi) मूल्य ।

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम ii के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राईवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्राड लगा सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह ऐसी क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित नहीं करता है जो नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित से भिन्न है।

8. प्राधिकार प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए विशेष शर्तें —

साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन पास्ता दानों के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात :—

(1) प्राधिकृत पैकर पास्ता दानों की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार या तो अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा जिसमें कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अर्हित रसायनज्ञ होगा या उसकी इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या प्राईवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला से पहुंच होगी।

(2) प्रसंस्करण श्रेणीकरण और पैकिंग के लिए परिसर पूर्ण स्वस्थकर और स्वच्छता की अवस्था में रखी जाएगी।

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक पूर्णत: स्वस्थ और किसी सांसर्गिक रोग से मुक्त होंगे ।

अनुसूची–1

[नियम 5 (i) देखिए]

एगमार्ग लेबल का डिजाइन

अनुसूची–2

[नियम 5 (ii) देखिए]

एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

वस्तु का नाम ————————

श्रेणी ————————

अनुसूची–3

(नियम 3 और 4 देखिए)

पोस्ता दाना के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषाएं

श्रेणी का नाम	क्वालिटी की परिभाषा विशेष विशिष्टताएं				
	द्रव्यमान के आधार पर अकार्बनिक बाह्य पदार्थ प्रतिशत (अधिकतम)	द्रव्यमान के आधार पर अकार्बनिक बाह्य पदार्थ प्रतिशत (अधिकतम)	द्रव्यमान के आधार पर क्षतिग्रस्त और विवर्णित दाना प्रतिशत (अधिकतम)	द्रव्यमान के आधार पर नमी प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर द्रव्यमान अवाष्पशील निष्कर्षण प्रतिशत (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी–I	.25	0.25	0.5	11.0	50.0
श्रेणी–II	.5	0.50	1.0	11.0	45.0
श्रेणी–III	1.0	1.0	1.0	11.0	40.0

स्पष्टीकरण :— (1) कार्बनिक बाह्य पदार्थ —से पोस्ता दाना से भिन्न पौधों के उद्दीय पदार्थ अभिप्रेत हैं।

(2) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ—से, बालू पत्थर मिटटी, गन्दगी, धूल या कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ अभिप्रेत हैं।

(3) क्षतिग्रस्त और विवर्णित —से, वे क्षतिग्रस्त या विवर्णित दाने अभिप्रेत हैं, जो क्वालिटी को तात्विक रूप से प्रभावित करते है।

साधारण विशेषताएं

7

पोस्ता दाना

(क) पापावेर सोमाफेरम के सूखे हुए परिपक्व दाने होंगे;

(ख) आकार, गठन और रंग में एक रूप होंगे।

(ग) कठोर, साफ स्वास्थ्यप्रद होंगे और फफूंदी, घुन, घृणाजनक दुर्गन्ध, अपवर्णनाओं हानिकारक पदार्थों की मिलावट तथा अनुसूची में उपदर्शित मात्र के सिवाय अन्य अशुद्धियों से मुक्त होंगे,

(घ) अच्छी वाणिज्यिक दशा में होंगे;

(ङ) विकृतगंधिता, कृन्तक संदूषण, गेड ग्रसन से मुक्त होंगे;

(च) एफ्लेटाक्सीन अन्तर्वस्तु, धात्विक संदूषक और कीटनाशी/पेस्टीसाइड अवशेषों के बारे में निर्बंधन का अनुपालन करेगा जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित है।

[फा. सं. 18011/4/96-एम -II]

सुकुमार दास, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 10th April, 1997

G.S.R. 228.—The following draft of the Poppy Seeds Grading and Marking Rules, 1996, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and in supersession of the Poppy Seeds Grading and Marking Rules, 1964 are hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of fifty five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, N.H. IV, Faridabad-21001 (Haryana).

DRAFT RULES

1. Short title and application.—These rules may be called the Poppy seeds Grading and Marking Rules, 1996,

(2) They shall apply to Poppy Seeds (Papaver Somnifacture).

(3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted certificate of authorisation to grade and mark Poppy Seeds in accordance with the provision of these rules;

(c) "Certificate of authorisation" means a certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988 ;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designation.—The grade designations to indicate the quality of the Poppy Seeds shall be as set out in column 1 of Schedule III.

4. Definition of quality.—The quality indicated by such grade designation and general characteristics shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule III.

5. Grade designation mark.—The grade designation marks shall consist of,—

(i) a lavel specifying name of the produce, grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with word "AGMARK" and figure of the rising sun resembling the one as set out in Schedule-I;

(ii) "Agmark Replica" consisting of a design incorporating the number of certificate of authorisation, the word "AGMARK" name of the produce, grade designation and resembling the one as set out in Schedule-II :

Provided that the use of AGMARK replica in lieu of AGMARK labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted permission by the Agricultural Marketing Ad-Adviser or an officer authorised by him in this regard and subject to the conditions prescribed under the General Grading and Marking, Rules, 1988.

6. Method of Packing—(1) The graded article shall be packed in clean, sound and dry containers using lining of polypropylene, in jute bags, cloth bags, polywoven bags, paper bags only.

(2) In the case of consumer packs polyethylene of polypropylene of minimum 100 micron and metallised polyester pouches or any other packing materials as may be required by the buyer and approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard shall be used, provided that the packing material is manufactured out of food grade materials as permitted under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(3) The containers shall be free from insect infestation, fungus contamination, deleterious substances and any undesirable or obnoxious smell.

(4) Suitable number of consumer packets containing granted material of the same grade designation and from the same lot/batch may be packed in master containers, such as, wooden cases, cardboard cartons, subject to the condition that each consumer pack shall carry appropriate grade designation mark and the detail thereof shall be indicated on the tie-on label affixed to the master container.

(5) Each container shall be securely closed and suitably sealed.

7. Method of Marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container.

(2) In addition to the grade designation mark the following particulars shall be clearly and indelibly marked on the container—

(i) Name and address of the packer ;

(ii) Place of packing;

(iii) Date of packing in month and year;

(iv) Net weight;

(v) Lot/batch number;

(vi) Price.

(3) An authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf, in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, affix his private trade mark or trade brand label on graded packages provided that the same does not indicate quality or grade other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded package in accordance with these rules.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation.—In addition of the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and marking Poppy seeds under the rules, namely—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988, for testing the quality of Poppy seeds or have access to the State grading laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose.

(2) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions

(3) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE I

[See rule 5 (i)]

DESIGN OF THE AGMARK LABEL

SCHEDULE II

[see rule 5 (ii)]

DESIGN OF AGMARK REPLICA

NAME OF COMMODITY————————

GRADE————————————————

SCHEDULE-III

(see rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Poppy seeds

Grade designations	Definition of quality					
	Special characteristics					General characteristics
	Organic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Inorganic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Damaged and discoloured seeds percent by mass (Maximum)	Moisture percent by mass (Maximum)	Non volatile Ether Extract percent by mass, on dry weight basis (Minimum)	
1	2	3	4	5	6	7
Grade-I	0.25	0.25	0.5	11.0	50.0	Poppy seeds shall,— (a) be the dried mature seeds of papaver somni forum (b) have uniform size, shape and colour; (c) be hard, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, discolourations, admixture of deleterious substances and other impurities except to the extent indicated in the Schedule; (d) be in sound merchantable condition; (e) be free from rancidity, rodent, condaminations, insect infestation; (f) comply with the restrictions in regard to aflatoxin, content, metallic contaminants and insecticide/ pesticide residues as prescribed under the prevention of Food Adultration Rules, 1955.
Grade-II	0.50	0.50	1.0	11.0	45.0	
Grade-III	1.00	1.0	1.0	11.0	40.0	

Explanation :—(1) Organic extraneous matter—means vegetative matter of plants ot her than Poppy seeds.

(2) Inorganic extraneous matter—means sand, stones, earth, dirt, dust or any other inorganic matter,

(3) Damaged and discoloured—means seeds that are damaged or discoloured materially affecting the quality.

[F. No. 18011/4/96-M. II]

SUKUMAR DAS, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

सा.का.नि. 229.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह "घ") पद भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध गेस्टेटनर आपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में गेस्टेटनर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (गेस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अध्ययन-पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
गेस्टेटनर ऑपरेटर	(एक) * (1977)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर स्थानांतरण द्वारा : एल एच एम सी और श्रीमती एस. के. अस्पताल में समूह "घ" के ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने रु. 750—940 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है; तथा (ख) जिनके पास गेस्टेटनर मशीन चलाने और रख-रखाव की निपुणता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलाकर बनेगी : 1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —अध्यक्ष 2. श्रम कल्याण अधिकारी —सदस्य 3 एक अधिकारी को उस विभाग से सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा जो उस विभाग से संबंधित न हो जिसमें प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-11018/22/95-आर आर/एम ई (यूजी)]

आर. राममूर्ति, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 29th April, 1997

G.S.R. 229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D') posts Recruitment Rules, 1979 in so far as they relate to the post of Gestetner Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gestetner Operator in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi.

1. Short tittle and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Gestetner Operator) Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said opst shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scehduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Gestetner Operator	1* (one) (1997)	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150.	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload

Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for directs recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8	9
Not appli able	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentages of the vacancies to be filled be various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/ deputation/transfer to be made
10	11	12
Not applicable	By transfer on deputation/transfer	Transfer on deputation/transfer Group 'D' officials in LHMC & Smt. S. K. Hospital ;

	12
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 750-940/- or equivalent; and (b) possessing proficiency in operating and maintaining Gestetnes machines. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department in the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chief Administrative Officer —Chairman 2 Labour Welfare Officer —Member 3. One officer to be coopted as a member from a Department not connected with the one in which promotions are considered. —Member	Not applicable

[No. A-11018/22/95-RR/ME(UG)]
R. RAMAMURTHY, Desk Officer

विद्युत मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

सा.का.नि. 230.—भारत के राजपत्र, भाग-II खंड-3, उपखंड (i) तारीख 22 फरवरी, 1997 के पृष्ठ 1165 से 1167 पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 112 तारीख 3 फरवरी, 1997 के अधीन प्रकाशित आशुलिपिक श्रेणी-1 (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों का काडर) भर्ती नियम, 1997 में, –

पृष्ठ 1166 पर अनुसूची के स्तम्भ 12 के नीचे उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के अधीन मद (क) की उप-मद की दूसरी पंक्ति के अन्त में "या" अन्तः स्थापित करें ।

[सं. 10/97/फा.सं. ए-12018/1/95-प्रशा-I]
रमेश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd April, 1997

G.S.R. 230.—In the Stenographer Grade I (Cadre of Subordinate Offices of Central Electricity Authority) Recruitment Rules, 1997, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Power No. GSR 112 dated the 3rd February, 1997, at pages 1167 to 1169 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd February, 1997 :—

At page 1168, in the Schedule, in column 12, under the sub-heading, "Transfer on Deputation", in item (a), in sub-item (ii), in line 3, after the word "equivalent" insert "or".

[No. 10/97/F. No. A-12018/1/95-Adm. I]

RAMESH CHANDER, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1997